सबके लिए आवास और सुरक्षित आवास पर ध्यान देने की जरूरत

नज़रिया खबर ब्यूरो

देहरादून। सरकार को बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ही सबके लिए आवास और सुरक्षित आवास पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है यह बात यहां हिमाद द्वारा आयोजित परिचर्चा में राजकुमार पूर्व विधायक व आवास समिति के अध्यक्ष ने कही। परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के दौर में जहां एक ओर शहर और महानगरों का आकर्षण व्यापक हो रहा है वहीं दूसरी तरफ शहरी गरीबों के आवास की समस्या भी दिन व दिन जटिल होते जा रही है। यह प्रश्न लगातार बना हुआ है कि कैसे सबके लिए एक सुरक्षित आवास हासिल हो सके। परिचर्चा में बोलते हुए समाज विज्ञानी डा0 डी0 एस0 पुण्डीर ने कहा कि शहरी गरीबों को आवास का बुनियादी अधिकार मुहैया कराने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि आम आदमी आवासीय योजनाओं का नाम ही भूल जाते हैं। इस बीच सरकारें बदलती है तो योजनाऐं भी बदल जाती है। दूसरी ओर शहरों के विस्तार होने से शहरी कामगारों के आवास की समस्या लगातार जटिल आकार ले रही हैं। देहरादून शहर में गरीबों की आवासीय स्थिति और वस्तियों में अन्य बुनियादी सुविधाओं की पड़ताल से पता चला कि कुल 1883 सर्वेक्षित परिवारों में से केवल 591 परिवारों के पास ही पक्के मकान हैं जबकि 578 के पास कच्चे और 714 के पास अर्धपक्के मकान ही हैं और उनका जमीन पर मालिकाना हक भी नहीं है।बक्ताओं ने कहा कि शहरी गरीबों खास कर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, धरेलू कामगार, रेहडी ठेली चलाने वाले एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले नागरिकों की आवासीय समस्याओं को सरकार की आवास योजनाओं में विशेष महत्व दिये जाने की जरूरत है। और इस वात पर विषेश ध्यान दिये जाने की जरूरत है कि सभी प्रकार के आवासों को सुरक्षित आवास बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही आवासीय अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में सामिल किया जाना चाहिए जो जीने के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिचर्चा में पुरूषोत्तम बडोनी, सुधीर भट्ट, कुसुम झिलडियाल, सीमा कटारिया सम्भू प्रसाद ममगाईं, अनिल रावत, दिषा, मंगेश, स्वाती आदि ने सम्बोधित किया परिचर्चा का संचालन अषोक अकेला ने किया।

छात्रों ने समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन

नज़रिया खबर ब्यूरो

देहरादून। सत्यम शिवम छात्र संगठन ने डीएवी पीजी कालेज में अध्ययनरत एससी, एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति निर्गत न किये जाने के विरोध में समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर घेराव किया और कहा कि लगातार आंदोलन करने के बाद भी आज तक छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की गई है जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।सत्यम शिवम छात्र संगठन के अरविन्द चौहान के नेतृत्व में छात्र ईसी रोड स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन कर अधिकारी का घेराव किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार आंदोलन करने के बाद भी आज तक छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की गई है जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन दिय जाने के बाद भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो चिंता का विषय है। वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति आज तक महाविद्यालय के निर्गत नहीं की गई है जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक छात्र अब पढ़ाई तक छोड़ने का मन बना चुके है। गरीब तबके के एससी, एसटी के छात्र छात्राओं को अपनी टयूशन, कोचिंग फीस आदि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है तथा यह छात्रवृत्ति अगर समय से छात्र छात्राओं को प्राप्त हो जाये तो उनकी काफी परेशानियां हल हो जाती है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही इस ओर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो संगठन चरणबद्ध तरीके से विभाग के खिलाफ जनांदोलन चलेगा। छात्रवृत्ति न मिलने से छात्र छात्राओं का उत्पीडन भी हो रहा है और इसके कारण वह परेशान भी है। इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही किये जाने का भरोसा दिया।

आरटीओ की मनमानी करने का डंडरियाल ने किया खुलासा

नज़रिया खबर ब्यूरो

देहरादून। देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने पर जिन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के तबादला अन्यत्र स्थानो ं में हो जाने पर दून कार्यालय में ही तैनात है किस नियम व किसके आदेश से यह कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार आरटीओ में स्थानांतरण के नाम पर मनमानी की जा रही है। डंडरियाल ने कहा कि बिन्दु संख्या तीन में इसका उल्लेख किया गया है और सूचना में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना को शून्य बताया गया है जबकि अनिल आनंद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की दून में 2010 में तैनाती हुई थी व अभी तक अपने बडे अधिकारियों से तालमेल के वर्तमान तिथि तक उसी सीट पर विद्यमान है जबकि इनका तबादला कुछ समय पूर्व टिहरी जिले में हुआ था। उनका कहना है कि फिर इनके द्वारा सांठगांठ कर अपना तबादला कुल्हाल चेक पोस्ट पर करा लिया गया जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधकारी की डयूटी चैक पोस्ट पर लगाना औचित्यहीन है और वह वर्तमान में दून कार्यालय में ही तैनात है। उनका कहना है कि दूसरे प्रशासनिक अधिकारी संजीव मिश्रा है जो दून में परमिट शाखा में ही तैनात है और वह अधिकारियों की मिलीभगत से हरिद्वार के बजाय दून में ही विद्यमान है।

सचिवालय कूच कर रहे शिक्षा प्रेरकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नज़रिया खबर ब्यूरो

देहरादून। अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे शिक्षा प्रेरकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षा प्रेरकों की पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक हुई। शिक्षा प्रेरकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा प्रेरक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा प्रेरक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राणा के नेतृत्व में परेड मैदान में धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और वहां पर अपनी मांगों को लेकर नारबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षा प्रेरकों ने धरना स्थल से जुलूस निकालते हुए सूचिवालय के लिए कूच किया लेकिन पुलिस ने उनकी वहीं पर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षा प्रेरकों की पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक हुई। उनका कहना था कि वर्ष 2009 से लेकर अब तक मात्र दो हजार रूपये में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत है जिसमें पिछले वर्ष एक हजार रूपये राज्य सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि की गई जिसके तहत शिक्षा प्रेरकों को तीन हजार रूपये मानदेय मिलने लगा। इस महंगाई के दौर में यह मानदेय भी न्यायसंगत नहीं है जबकि 30 दिसम्बर से केन्द्र सरकार द्वारा जो बेसिक साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी समय अवधि पूर्ण हो रही है, उनका कहना है कि जब तक आगे सरकार योजना को स्पष्ट रूप से नहीं चलाती है तो जो प्रेरक पिछले सात वर्षों से सेवायें दे रहे है उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। वक्ताओं का कहना हैकि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में उन्हें जोड़ा जाये और राज्य कर्मचारियों में समायोजित किया जाये और स्पष्ट शासनादेश शिक्षा प्रेरकों को प्रदान किया जाये। उनका कहना है कि मानदेय पन्द्रह हजार रूपये किया जाये और शिक्षा प्रेरकों की बीएलओ के कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने की जरूरत है और शिक्षा प्रेरकों से डीएलएड कराया जाये, शिक्षा प्रेरकों को नमामि गंगे व स्वच्छ भारत अभियान से जोडा जाये और भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से रूका हुआ मानदेय भी निर्गत किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित सभा के बाद शिक्षा प्रेरकों ने सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया तो पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही घेर लिया और बाहर नहीं निकलने दिया।

क्लोरीन गैस रिसाव की जांच पूरी, कार्रवाई के दिए निर्देश

नज़रिया खबर ब्यूरो

देहरादून। क्लोरीन गैस सिलेण्डरों में हुए रिसाव की जांच पूरी कर ली गयी है। जांच कमेटी के विवेचना के आधार पर सात बिन्दुओं में कार्रवाई की संस्तुति की गयी है। गौरतलब है कि 17 अगस्त गुरुवार को दिलाराम बाजार के समीप स्थित जल संस्थान परिसर में रखे क्लोरीन गैस के सिलेण्डरों से रिसाव हो गया था। जिससे आस-पास के लोगों प्रभावित हुए थे। नतीजतन जल संस्थान के महाप्रबंधक एसके गुप्ता ने सुदेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी गठित की। जिसमें पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता एनएस बिष्ट और अधिशासी अभियंता इमरान अहमद को सदस्य बनाया गया है। कमेटी ने विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विवेचना के आधार पर मै0 कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्कालीन प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य हेतु निरूद्ध कर दिया गया है। यशवीर मल्ल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ए.के. गुप्ता, अपर सहायक अभियन्ता एवं फतेह सिंह को लापरवाही के कारण आरोप-पत्र निर्गत कर दिये गए हैं। नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) एवं सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दुर्घटना के पश्चात् अविलम्ब निरीक्षण नहीं किया गया जिस हेतु उनको चेतावनी पत्र निर्गत कर दिया गया है। शासन को यह अनुरोध कर लिया जायें कि शासन स्तर पर एक कमेटी का गठन कर यह अध्ययन कर लिया जाये कि किन-किन स्थानों पर तरल क्लोरीन से क्लोरीनेशन का कार्य किया जाये तथा इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायें जिससे भविष्य में दुबारा ऐसी दुर्घटना न हो। समिति की संस्तुति आने तक पेयजल के विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइट से ही कराई जाये। क्लोरिन गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण हेतु सुरक्षित कार्यवाही की संस्तुति की गई है। मानवता की दृष्टि से क्लोरित गैस रिसाव से पिड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के इलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

सातवें वेतनमान को लागू करने पर सरकार का आभार जताया

देहरादून। उत्तराखंड पेयजल निगम को सरकार व शासन द्वारा सातवां वेतनमान लागू करने का शासनादेश जारी किये जाने पर निगम के कार्मिकों ने पेयजल मंत्री प्रकाश पंत से मुलाकात की और प्रसन्नता जताई। महासंघ के अध्यक्ष प्रवीन सिंह रावत व महामंत्री विजय खाली ने बताया कि पेयजल निगम कार्मिकों को सातवें वेतन का लाभ पहुंचाने में पेयजल मंत्री के साथ साथ शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, महासंघ के सभी पदाधिकारी व सदस्यों को पूर्ण रूप से योगदान रहा और सातवां वेतनमान लागू करने में पेयजल मंत्री प्रकाश पंत द्वारा भी अहम भूमिका निभाई। उनका कहना है कि पेयजल मंत्री के आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया गया और सातवें वेतनमान लागू कराये ।

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा, खटीमा–262308,
जिला उधम सिंह नगर, (उत्तराखण्ड)
फोनः (05943) 250153-57, फैक्सः (05943) 250158
वेबसाइटः www.esterindustries.com, ईमेलः investor@ester.in

ईक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना

विषयः विनिधानकर्त्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों का अंतरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिधानकर्त्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापिसी) नियम, 2016 (''आईईपीएफ नियम'') के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है। आईईपीएफ नियमों में, अन्य के अलावा, विनिधानकर्त्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में ऐसे सभी शेयरों का अंतरण करना शामिल हैं जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि से शेयरधारकों द्वारा कोई लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या दावा नही किया गया है।

तद्नुसार, उन शेयरधारकों के शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010–11 (अंतरिम) से लगातार 7 (सात) वर्षों या उससे अधिक से शेयरों के लाभांश का भुगतान नहीं लिया है। कम्पनी ने ऐसे सभी संबंधित शेयरधारकों को उनके उपलब्ध पते पर सूचना भेजी हैं जिन्होंने पिछले सात निरंतर वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2010–11 से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और उन्हें 8 दिसम्बर, 2017 को या उससे पूर्व लाभांश को दावा करने की सलाह भी दी गई है।

शेयरधारक यह भी नोट करें कि आईईपीएफ नियम की अधिसूचना के बाद कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिए अदावाकृत लाभांश आईईपीएफ के पास जमा कर दिया है। कम्पनी ने पहले ऐसे शेयरधारकों को सूचना जारी की थी जिनका वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिए अदावाकृत लाभांश आईईपीएफ के पास जमा किया गया है। ऐसे शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2010–11 (अंतरिम) से अपना लाभांश, यदि कोई हो, का दावा करने का भी अनुरोश किया जाता है।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारक(कों) और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का पूरा साल–वार विवरण अपनी वेबसाइट www.esterindustries.com पर अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विवरणों को सत्यापित करने और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरणों के लिए वेब लिंक http://esterindustries.com/list-unclaimedunpaid-dividend का अवलोकन करें।

यदि कम्पनी को 8 दिसम्बर, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 (अंतरिम) के लिए भुगतान न किए गए लाभांश के दावे के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो कम्पनी आईईपीएफ नियमों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए 8 दिसम्बर, 2017 या ऐसी कोई बढ़ाई गई तिथि के बाद शेयरधारकों को आगे बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ नियमों में विनिर्देशित प्रक्रिया के अनुसार शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर देगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि एक बार लाभांश एवं उनके संगत शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित होने के बाद कथित आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में कम्पनी के पास इस संबंध मे कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, इस बात पर ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयर अंतरण के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह गैर–विनिमेय माना जाएंगे। यदि शेयर डिमेट प्रारूप में हैं तो अंतरित किए जाने वाले शेयरों की सीमा के अनुसार शेयर शेयरधारक के खाते से डेबिट कर दिये जाऐगें। शेयरधारक यह भी नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लाभांश और शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में आईईपीएफ नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन और नियमों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में किसी भी पूछताछ के लिए कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टी–34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110020, फोन नं. 011–26387281 फैक्स नं. 011–26387384 ई–मेलः info@masserv.com वेबसाइटः www.masserv.com से सम्पर्क करें।**

कृते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
दिवाकर दिनेश
कम्पनी सचिव
सदस्यता न0. ए22282

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 27 सितम्बर, 2017

ESTER INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
Regd. Office: Sohan Nagar, P O Charubeta Khatima - 262308,
Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
Phone: (05943) 250153-57, Fax: (05943) 250158
Website: www.esterindustries.com, Email: investor@ester.in

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Notice is hereby given pursuant to the provision of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs. The IEPF Rules, amongst others, contains provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, in the name of the Investors Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Accordingly the shares of those shareholders, who have not encashed the dividend for 7 (Seven) consecutive years or more from financial year 2010-11 (Interim) onward, will be transferred to IEPF Authority. The Company has sent communication to all the concerned shareholders who have not claimed their dividends for last seven consecutive years i.e. from financial year 2010-11 (Interim) onwards at the latest available address, advising them to claim dividend on or before 8th December, 2017.

The Shareholders may also note since the notification of the IEPF Rules, the Company has deposited unclaimed dividend for financial year 2008-09 and 2009-10 to IEPF. The Company had already issued notice to such Shareholders whose unclaimed dividend for financial year 2008-09 and 2009-10 has been deposited to IEPF. Such shareholders are also requested to claim their dividend, if any, for financial year 2010-11 (Interim) onwards.

The Company has also uploaded complete year-wise details of such shareholder(s) and shares due to be transferred to the IEPF Authority on its website www.esterindustries.com. Shareholders are requested to refer to web link http://esterindustries.com/list-unclaimedunpaid-dividend to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend for the financial year 2010-11(Interim) onwardby 8th December, 2017, the Company shall, in order to comply with the requirements of the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF Authority after 8th December, 2017 or such other date as may be extended, as per the procedure set out in the IEPF Rules without any further notice to the shareholders. The Shareholders may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof pursuant to the said IEPF Rules.

The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred shall stand debited from the shareholders account. Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by following such procedure and by submitting such documents as prescribed under the IEPF Rules.

For any queries on the aforesaid subject, the shareholders are requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. **M/s MAS Services Limited, Unit: Ester Industries Limited, T-34, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, Tel: 011-26387281 Fax: 011-26387384, Email: info@masserv.com, Website: www.masserv.com**

For **Ester Industries Limited**
Sd/-
Diwaker Dinesh
Company Secretary
Membership No. A22282

Place: Gurgaon
Date: 27th September, 2017

TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED

sh Chimanlal Gandhi, Shweta
ing Shareholders namely DEG,

s 30.24x at the lower end of the

otilal Oswal Financial Services
vever, the price at the lower end

06, 2017*

ER 10, 2017

g Date, i.e., one Working Day prior to the Bid/Offer Opening

ay of applying to issues by simply blocking
tails, check section on ASBA below.

16. No cheque will be accepted.

CIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF
f the signatories of the Memorandum of Association of our
me of signing of the Memorandum of Association of our
sh Chimanlal Gandhi, Saurabh Chandrkant Choksi, Bala
Chimanlal Gandhi. For details of the main objects of the
nd Certain Corporate Matters" on page 151 of the RHP.
pital Structure" on page 76 of the RHP.
re proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company
y Shares pursuant to their letters dated April 26, 2017 and
e Designated Stock Exchange. A signed copy of the Red
n to the RoC in accordance with Section 26(4) of the
available for inspection from the date of the Red Herring
ocuments for Inspection" on page 516 of the RHP.
NDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the
e specified securities or the offer document. Investors are
e of SEBI'.
rmission given by BSE should not in any way be deemed
it certify the correctness or completeness of any of the
ext of the Disclaimer clause of the BSE Limited" on page

to be distinctly understood that the permission given by
has been cleared or approved by NSE nor does it certify
ment. The investors are advised to refer to the Offer
the RHP.
ve a degree of risk and investors should not invest any
vestment. Investors are advised to read the risk factors
nvestment decision, investors must rely on their own